(250/- के नानज्युडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारुप

मैं..पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री..निवासी.. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यार्थी हूं ।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-21-2/2014/नौ/55 दिनांक 06/02/2014 : ''छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों'' में प्रवेश हेतु किये गये नियमों का सृजन को भली भांति पढ़कर समझ लिया है ।
2. मैं अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं ।

   अथवा

   मैं राज्य कोटे के अंतर्गत सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं ।
3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि:-

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

I. माननीय उच्चतम न्यायालय / भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत मेरे द्वारा प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिया जाता है तो **रू. 25 लाख** (पच्चीस लाख रू) तथा तीन / दो वर्षो तक प्रदाय किये जाने वाले **स्टापण्ड की राशि** (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी। उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय प्रशासन में जमा की गई मूल प्रमाण पत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेगें।

II. मै इस बात से भी सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान यदि मुझ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा बिन्दु क्र. 01 में संदर्भित अधिसूचना के बिन्दु क्र. 16.7 के आधार पर मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो इस स्थिति में भी **रू. 25 लाख** (पच्चीस लाख रू) तथा तीन / दो वर्षो तक प्रदाय किये जाने वाले **स्टापण्ड** की राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी। उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा की गई मूल प्रमाण पत्र मुझे प्रदाय किये जायेगें।

(केवल राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

III. माननीय उच्चतम न्यायालय / भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत मेरे द्वारा प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिया जाता है तो आगामी दो वर्षो तक राज्य कोटे से पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता मुझे नहीं होगी।

IV. मेरे द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात दो वर्षो की अवधि के लिए संविदा आधार पर राज्य शासन के अधीन अनिवार्य रूप से सेवा करूंगा । इस अनिवार्य सेवा के पूर्ण करने के पश्चात अनिवार्य सेवा के पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र महाविद्यालय मे प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश के समय मेरे द्वारा जमा किए गए समस्त मूल प्रमाण पत्र को महाविद्यालय के द्वारा मुझे लौटाया जावेगा व डिग्री / डिप्लोमा हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जावेगा । मुझे यह भी जानकारी है कि अनिवार्य सेवा के पूर्ण करने के पश्चात ही मेरे द्वारा उत्तीर्ण स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम का स्थायी पंजीयन भारतीय/ राज्य चिकित्सा परिषद के द्वारा किया जावेगा । (राज्य शासन के अधीन नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सको पे लागू नहीं)

पता-

फोन न.

हस्ताक्षर छात्र/ छात्रा

प्रतिभूतिकर्ता

मैं...............................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...........................निवासी...................................उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जावेगी ।

गवाह:- 1......................

2.....................

हस्ताक्षर/ नाम